प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 01.03.2026**

थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये जेवरात / रुपये बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 22.02.2026 को ग्राम अरसदपुर थाना शिवली में श्री अरुण पुत्र स्व0 सेवकराम ग्राम अरशदपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के घर से चोरी होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 84/2026 धारा 305(क) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम राजू पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम असरदपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात पंजीकृत कराया गया। जिसके क्रम में चोरी करने वाले अभियुक्त राजू पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम असरदपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक 28.02.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पाण्डेय हार को जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी खडुवा व चोरी गये रुपये में से 5300 रुपये बरामद किये गये।

पूछताछ- अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसके द्वारा अपने ही गांव के अरुण पुत्र सेवकराम के घर से चोरी की थी, अरुण मेरे परिवार का है उसके घर में कोई नहीं था तो उसके घर से मैंने 07 हजार रुपये नगद व 07-08 जेवर चोरी किये थे जिसमें 01 सोने की माला और 01 सोने की हाय श्री जोकि मैंने विपिन पुत्र संतोष निवासी कस्बा शिवली थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को बेची थी और मैंने विपिन को बताया था कि में यह जेवर अपने ही गांव से चोरी करके लाया हूं तो इस बात पर विपिन ने मुझसे कहा था कि जब यह मामला शान्त हो जाये तो पैसे ले जाना मैं पिछले कई दिन से पैसे लेने के लिये आना चाह रहा था, आज मैं पैसे लेने के लिये ही आया था कि आप लोगो ने मुझे पकड लिया। साहब उन 07 हजार रुपये में से मैंने कुछ रुपये खर्च कर लिये है तथा जो ये 5300/- रुपये है वह उसी चोरी के रुपये में से बचे है। बाकी के जेवर विपिन वर्मा के पास होने की बात बतायी गयी।

पंजीकृत अभियोग की जांच एवं गवाहान के बयान एवं अभियुक्त के बयान आदि के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में विपिन पुत्र संतोष निवासी शंकरनगर कस्बा व थाना शिवली जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में आया है एवं धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. राजू पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम असरदपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण-

1. 01 जोड़ी खडुआ सफेद धातु,
2. 5300 रूपये नगद।

अभियुक्त राजू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 84/2026 धारा 305(क)/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लोकेश कुमार
2. का0 945 अभिषेक कुमार।